राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1745/2012/पाली.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स करूणा एजेन्सीज,
पाली. .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक. .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित. .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 26/RVAT/पाली/10–11 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित कर राशि रूपये 7,613/– एवं शास्ति राशि रूपये 45,675/– कुल मांग राशि रूपये 53,288/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 12.06.2010 को ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान बिल्टी संख्या जी.आर. संख्या 105/08.06.2010 को चेक किया गया। उक्त बिल्टी से प्रत्यर्थी व्यवसायी के यहां पर केमिकल के 40 बेग आना पाये गये। परिवहनित माल के साथ मैसर्स करूणा एजेन्सीज, पाली का चालान संख्या 548 दिनांक 08.06.2010 संलग्न पाया गया, परन्तु चेक करने पर मैसर्स कृष्णा फ्रेट केरियर्स, पाली की जी. आर. संख्या 105/08.06.2010 के साथ माल की खरीद बिल संलग्न नहीं पाया गया। उक्त की जांच हेतु जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 75(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवसायी ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसे पत्रावली पर रखा जाकर अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् कर राशि रूपये 7,613/– एवं शास्ति राशि रूपये 45,675/– कुल मांग राशि रूपये 53,288/– का आरोपण करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.07.2010 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 16.01.2012 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

निरन्तर.....2

3. अपीलार्थी विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान बिल्टी संख्या जी.आर. संख्या 105/08.06.2010 को चेक करने पर उक्त बिल्टी से प्रत्यर्थी व्यवसायी के यहां पर केमिकल के 40 बेग आना पाये गये। परन्तु मैसर्स कृष्णा फ्रेट केरियर्स, पाली की जी.आर. संख्या 105/08.06.2010 के साथ माल की खरीद बिल संलग्न नहीं पाया गया, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के करापवंचन के कृत्य को दर्शाता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी पर उचित रूप से कर व शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा वक्त जांच ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान बिल्टी संख्या जी.आर. संख्या 105/08.06.2010 को चेक किया गया। उक्त बिल्टी से मैसर्स करूणा एजेन्सीज, पाली का चालान संख्या 548 दिनांक 08.06.2010 संलग्न पाया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवसायी के यहां पर केमिकल के 40 बेग आना पाये गये। इस पर प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ड्राईवर की गलती से बिल छूट गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त जवाब के संबंध में कोई जांच नहीं की गई तथा कर व शास्ति कायम करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया है।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का परिवहन बिना बिल के एवं मैसर्स करूणा एजेन्सीज, पाली का चालान संख्या 548 दिनांक 08.06.2010 से किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन माना। चालान संख्या 548 दिनांक 08.06.2010 के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही घोषित थे, अतः इनका सत्यापन करके प्रकरण की सही स्थिति को ज्ञात किया जा सकता था। इसके अलावा चालान के साथ बिल भूल से पीछे छूट गया तो उसे नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत कर देने से धारा 76(2)(बी) की पालना सुनिश्चित हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स डी.पी.मैटल्स के प्रकरण में दिए गए निर्णय में यही कहा है कि यदि कोई एक दस्तावेज भूल से रह गया है तो वह नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर देने पर शास्ति आरोपण का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसके लिए प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:—

> **76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.**

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल—बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। परिवहनित माल के साथ चालान संख्या 548 दिनांक 08.06.2010 संलग्न था एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ बिल प्रस्तुत कर दिया था। जिसके तथ्यों का मिलान वक्त जांच पाए गए चालान में दर्शाये गए तथ्यों (Particulars) से होता है। अतः

निरन्तर.....3

इसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

6. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2012 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से यथावत् रखा जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है । निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य